राज्य कर आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

अधिसूचना सं. / 2017 – राज्य कर

रायपुर, दिनांक : 15 सितंबर, 2017

क्रमांक / सीजीजीएसटी / 01 / 2017 (**7**) —छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर, अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017 का) की धारा 168 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप—जीएसटीआर—3ख में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों या इससे पूर्व दी जाएगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक संख्या	मास	जीएसटीआर—3ख फाइल किए जाने की अंतिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	अगस्त, 2017	20 सितम्बर, 2017
2.	सितम्बर, 2017	20 अक्टूबर, 2017
3.	अक्टूबर, 2017	20 नवम्बर, 2017
4.	नवम्बर, 2017	20 दिसम्बर, 2017
5.	दिसम्बर, 2017	20 जनवरी, 2018

2. प्ररूप जीएसटीआर—3ख के अनुसार कर देयता के निर्वहन हेतु करों का भुगतान : प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरण पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अधीन कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या उक्त अधिनियम के अंतर्गत देय कोई अन्य राशि के संबंध में दायित्व का निर्वहन, अंतिम तिथि के पूर्व, जो उक्त सारणी के कॉलम (3) में वर्णित है, जिसमें उसके द्वारा उक्त विवरण पत्र प्रस्तुत किया जाना है, इलेक्ट्रॉनिकी रोकड़ खाता या इलेक्ट्रॉनिकी प्रत्यय खाते को, जैसा भी मामला हो, नामे करके करेगा।

(संगीता पी.) राज्य कर आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर

Commissioner of State Tax Chhattisgarh, Raipur

Notification No. /2017-State Tax

Raipur, 15th September, 2017

No. /CGGST/01/2017 (07) - In exercise of the powers conferred by section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, on the recommendations of the Council it is hereby specified that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal on or before the last dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Month	Last Date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	August, 2017	20 th September, 2017
2.	September, 2017	20 th October, 2017.
3.	October, 2017	20 th November, 2017
4.	November, 2017	20 th December, 2017.
5.	December, 2017	20 th January, 2018

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as detailed in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

(Sangeetha P.) Commissioner of State Tax

Chhattisgarh, Raipur